5-संलग्न

प्रेषक,

अध्यक्ष,

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,

लखीमपुर–खीरी।

सेवा में,

निबन्धक,

माननीय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,

लखनऊ,उ0प्र0।

पत्रांक 226 / जि0उप0वि0प्रति0आे0 / खीरी / 2022–23,दिनॉक 10-5-2022

विषयः– जिला उपभोक्ता आयोग,लखीमपुर–खीरी हेतु मध्यस्थता को पैनलबद्ध करने हेतु आवेदन के प्रारूप को माननीय राज्य आयोग,उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मा0 राज्य आयोग लखनऊ के पत्रांक.3426 / एस.सी.डी. आर.सी. / अधि.101 / 16,दिनॉक.02.12.2021 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं.सी.पी.480 / 2021 / 84–2–2021 सी.एन.1369528 दिनांक.15. 11.2021 के अनुपालन में उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियमन,2020 की धारा–5 के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,लखीमपुर–खीरी हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध किया जाना है इस संबंध में प्राविधान के अनुसार जिला सूचना अधिकारी,लखीमपुर–खीरी को लोकप्रिय समाचार पत्र हिन्दी व अंग्रेजी में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु पत्र संख्या. 225,दिनांक.10.5.2022 को प्रेषित किया गया है।

<u>आवश्यक सूचना / विज्ञप्ति</u>

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,लखीमपुर–खीरी में मध्यस्थ नियुक्त करने हेतु पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक व्यक्ति माननीय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ0प्र0,लखनऊ की वेबसाइट hhh://scdrc.up.nic.in से समस्त जानकारी डाउनलोड कर या जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,लखीमपुर–खीरी के कार्यालय से आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर अन्तिम तिथि.20.5.2022 की सायं तक आवेदन कर सकते है।

अतः अनुरोध है कि माननीय राज्य आयोग की वेबसाइट पर नियुक्तियों से संबंधित शर्तो एवं आवेदन का प्रारूप अन्तिम तिथि सहित अपलोड कराने की कृपा करे।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अध्यक्ष, 10/5/2022

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,

लखीमपुर–खीरी।

कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, लखीमपुर–खीरी।

विज्ञप्ति सं0–227 / जि0उ0आ0 / खीरी / 2022 दिनांकः 10 मई, 2022

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग लखीमपुर–खीरी से संबद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामलों में मध्यस्थता के लिए मध्यस्थों को एक पैनल तैयार करने का प्रस्ताव करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–2019 उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता नियम–2020 एवं विनिमय–2020 के संदर्भ में पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग लखीमपुर–खीरी हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु निम्न व्यक्ति अर्ह होंगेः–

1. उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य
2. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त सदस्य
3. दस वर्षो से अधिक अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी
4. वकालत में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता
5. भारत के उच्चतम न्यायालय, एच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ पैनलबद्ध मध्यस्थ
6. मध्यकता / सुलह में न्यूनतम 05 वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति
7. न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग लखीमपुर–खीरी हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध रने हेतु निम्न व्यक्ति अनर्ह होंगेः–

1. ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत घोषित किया गया हो।
2. ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, लगाय गये हों और लंबित पड़े हों।
3. ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी अपराध के लिए दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हेतु सिद्धदोष ठहराया गया है।
4. ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई हो और लंबित हो अथवा दण्ड दिया गया हो।

अध्यक्ष 10/5/2022

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

लखीमपुर–खीरी।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग लखीमपुर–खीरी हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में):..
2. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में):..
3. आवेदक के पिता/पति का नाम (हिन्दी में):..
4. आवेदक की जन्म तिथि:..
5. आवेदक की शैक्षिक योग्यता:...
6. आवेदक का स्थाई पता (हिन्दी में):...
   ....

स्वप्रमाणित/सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटो

7. आवेदक का पत्र व्यवहार का पता:..
   ....
8. आवेदक का मोबाइल नंबर:...
9. आवेदक की ई–मेल आई0डी0:..
10. आवेदक का वर्तमान व्यवसाय एवं वार्षिक आय:..
11. यदि आवेदक किसी न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी/उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य/वकालत का दस वर्ष का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता/मध्यस्थता/सुलह में न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति/न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी है तो उसका सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें एवं सेवा के अंतिम पद का उल्लेख करें:..
12. क्या आवेदक को कभी दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत घोषित किया गया है:–......
13. क्या आवेदक के विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, लगाये गये हैं और लंबित पड़े हैं:–.................................
14. क्या आवेदक को किसी अपराध के लिये दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हेतु सिद्धदोष ठहराया गया है:–..
15. क्या आवेदक के विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई और लंबित है अथवा दण्ड दिया गया है:–...........................
16. अन्य विवरण यदि कोई हो:–..

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

संलग्नक:

घोषणा–पत्र

एतदद्वारा मै यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा इस आवेदन में जो भी सूचनायें अंकित की हैं वह सत्य हैं। भविष्य में यदि कोई सूचनायें गलत पाई जातीं हैं तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर